

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 27, 1981/वैशाख 7, 1903
No. 176] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 1981/VAISAKHA 7. 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

आदेश सं. 20/81

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1981

का अ. 321(अ).—आयात व्यापार (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्वारा वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या 1/81, दिनांक 3 अप्रैल, 1981 के अधीन प्रकाशित खुले सामान्य लाइसेंस 1/81 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(1) उक्त खूले मामान्य लाइसेंस सं. 1/81 में शर्त सं. (15) के पश्चात् निम्नलिखित अगली शर्त जोड़ी जाएगी :—

“(15-क) कच्चे काजू के मामले में यह शर्त होगी कि आयात के लिए संविदा करने के तुरन्त बाद, आयात की जाने वाली मात्रा का आधा भाग भारतीय काजू निगम को वास्तविक उपयोक्तओं (साधन एकक) को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए ढंग से वितरित करने के लिए दे दी जाएगी। संविदा को कार्यान्वित करने के 7 दिनों की अवधि के भीतर भारतीय काजू निगम के पास आयातक द्वारा आयात संविदा भी पंजीकृत करवाई जाएगी।

[मि. सं. आईपीसी/25/80-61]

मणि नारायणस्वामी,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

Order No. 20/81

New Delhi, the 27th April, 1981

S.O. 321(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following amendment to Open General Licence No. 1/81, published under the Ministry of Commerce Order No. 1/81, dated the 3rd April, 1981:—

(1) In the said Open General Licence No. 1/81, after condition No. (15), the following further condition shall be incorporated:—

“(15-A) In the case of raw cashewnuts, it shall be a condition that, immediately after the contract for import is entered into, half of the quantity to be imported shall be offered to the Cashew Corporation of India for distribution to Actual Users (Processing Units) in such a manner as may be laid down by Government from time to time. The import contract shall also be registered by the importer with the Cashew Corporation of India within a period of seven days of its execution.

[F. No. IPC/25/7/80-81]

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports